निग० /2906/II/15

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष / सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर सीर्किट कोर्ट

रीवा जिला रीवा म0प्र0

Rs. 40/-

जयन्ती शुक्ला पुत्री स्व0 रामायण प्रसाद शर्मा पत्नी राजेश शुक्ला निवासी नहरा तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

..... निगरानी कर्ता

08
12.8.15

बनाम

1- श्री मती अन्नपूर्णा गौतम पुत्री स्व0 रामायण प्रसाद शर्मा पत्नी सुशील कुमार गौतम निवासी सोहावल तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0

2- श्री मती गिरजा देवी पत्नी स्व0 रामायण प्रसाद शर्मा निवासी उपरहटी चौबेन टोला 26/226 वार्ड नं. 37 तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

..... गैर निगरानी कर्ता गण

आज दिनांक 12.08.15 किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश श्री मान् अपरआयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा दिनांक 24.7.15 प्र.क्र. 739/अपील/14-15 धारा 50 म0प्र0 भू. राजस्वसंहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है

1- यहकि यह निगरानी न्यायालय श्री मान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 739/अपील/14-15 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है ।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांक 24.7.15 मे स्थगन

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R:2906/II/15 .... जिला रीवा ....

स्थान तथा दिनांक	जय-शी शुक्ला कार्यवाही तथा आदेश श्रीमती अन्नपूर्णा	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-2-16	यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के प्र०क्र० 739/अपील 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 24-7-15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधि० को शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर से प्रकरण में सुना गया। आवेदक अधि० के तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो के संलग्न प्रश्नाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाकर रिकार्ड आने एवं आगामी तिथी तक का स्थगन यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश के साथ दिया गया एवं प्रकरण में आगामी तिथि दिनांक 24-8-15 नियत की गई। जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। यहां यह तथ्य विचारणीय है कि जहां तक आगामी तिथि तक स्थगन दिए जाने का प्रश्न है तो आगामी तिथि दि० 24-8-15 नियत थी जो व्यतीत हो चुकी है अब प्रश्न आता है रिकार्ड आने तक का तो यदि रिकार्ड तीन माह की समय सीमा में आता है या प्राप्त हो गया है तब स्थगन दिया जाना नियमानुसार है और यदि प्रकरण में अभिलेख तीन माह की नियत अवधि में प्राप्त नहीं होता है तो अभिलेख आने तक के लिए दिया गया स्थगन नवीन संशोधन के अनुसार वैधानिक नहीं होगा। क्योंकि संहिता की धारा 49 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि एकबार में तीन माह से अधिक की अवधि का स्थगन नहीं दिया जा सकता यदि प्रकरण में आवश्यक होना पाया जाता है तब स्थगन पुनः तीन माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।	

[कृ. प. उ.

R. 2906/11/15 रीवा

स्थान तथा दिनांक भयन्ती	कार्यवाही तथा आदेश अन्नपूर्णा	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अतः प्रकरण में अपर आयुक्त को संहिता की धारा 50 में हुए नवीन संशोधन दिनांक 30-12-11 के अनुसरण में स्थगन दिए जाने पर विचार किए जाने के आदेश के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधी० न्याया० को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। द०दा०रि० हो। 10.2.16 सदस्य	